कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला
Office of the Executive Engineer, Public Works Department, Purola
दूरभाष / फैक्स संख्या 01373–223324 E-Mail ID-eepwdpurola@rediffmail.com

पत्रांकः– 1825/ 91ग्र्/प्रति– दिनाँकः–21 / 11 /2024

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टौंस वन प्रभाग, पुरोला।

विषय :– जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में मियागाड से कुनारा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.8175 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 157 / 2021 / एफ0सी0 / 274 दिनांक 30–06–2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत है –

क्र0सं0	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तें	अनुपालन
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी	अनुपालन किया जायेगा।
2	योजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जायेगी।	अनुपालन किया जायेगा।
3 क	प्रतिपूरक वरीकरण वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 5.634 हे0 सिविल सोयम भूमि मौजा कुनारा (बचना तोक) खसरा सं0 1 (2.382 हे0), 2 (1.714 हे0), 3 (1.254 हे0) तथा 4 (0.284 हे0) में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जंहा तक व्यवहारिक हो स्थानीय स्वदेषी प्रजातियों को लगाया जाय, तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।	वन विभाग से सम्बन्धित है।
ख	गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तानतरण, नामान्तरण एवं नोटिफिकेषन करने के पष्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। गाइड लाइन पैरा 2.4 (I) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्य से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वरीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों के प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामानतरण करने के पष्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	नोटिफिकेशन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1645 / वनभूमि दि0 21–10–21 द्वारा राज्य वन विभाग के पक्ष में नोटिफिकेशन की कार्यवाही हेतु प्रभागीय वनाधिकारी टौंस वन प्रभाग को पत्र प्रेषित।
ग	वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र में पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	वन विभाग से सम्बन्धित है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वरीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन, स्तम्भन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वरीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में	रू0 20,90,033.00 चालान द्वारा जमा कर दिया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

	निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याषित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	
5 क	शुद्ध वर्तमान मूल्य इस सम्बन्ध में भारत सरकार के मा0 सर्वोच्च न्यायालय के डब्लू पी0 (सी0) सं0 202/1995 में ।ए नं0 566 दिनांक 30-10-2002, 01-08-2003, 28-03-2008, 24-4-2008 एवं 9-5-2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998 एफ0सी0 (पी0टी0 2) दिनांक 18-9-2003, 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक 3-10-2006 एवं 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 5-2-2009 में जारी दिषा निर्देषानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.8175 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिये शुद्ध वर्तमान मुल्य वसूल करेगी।	एन0पी0वी0 धनराशि रू0 2645633.00 चालान द्वारा जमा कर दी गयी है। छपान, कटान, मुछान, ढुलान हेतु धनराशि रू0 30,98,341.00 चालान द्वारा जमा कर दी गयी है।
ख	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मुल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	अनुपालन किया जायेगा
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी सं0 प्रस्ताव के अनुसार 457 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	अनुपालन किया गया है।
7	गाइडलाइन्स में दिये गये निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी। और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	अनुपालन किया गया है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/ जमा किये जायेंगे।	अनुपालन किया गया है।
9	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण-पत्र के माध्यम से सुनिष्चित किया जायेगा।	अनुपालन कर दिया गया है।
10	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमत साईनेज लगाये जायेगे।	अनुपालन किया जायेगा।
11	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	आवश्यकता नहीं है।
12	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का लेआउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	अनुपालन किया जायेगा।
13	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	अनुपालन किया गया है।
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	अनुपालन किया गया है।
15	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर	अनुपालन किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

	सीमांकन किया जायेगा।	
16	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	अनुपालन किया गया है।
17	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो लक्षित किया जायेगा।	अनुपालन किया गया है।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनो के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	अनुपालन किया गया है।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	अनुपालन किया जायेगा।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाइल सं0 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29–01–2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	अनुपालन किया जायेगा।
21	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	अनुपालन किया जायेगा।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्व विदृष्टि स्थलों पर इस प्रकार मलबे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलबे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनायी जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से किया जायेगा। मलबा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों क कटाई की अनुमति नहीं होगी।	अनुपालन किया जायेगा।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/ नियम /न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	अनुपालन किया जायेगा।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।	अनुपालन किया जायेगा।

अधिशासी अभियंता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला

पत्रांक /
तद्दिनांक

प्रतिलिपि

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक अभियंता– I, लो0नि0वि0, पुरोला को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियंता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला

Scanned with OKEN Scanner

1166/वनभूमि
10/08/21

:: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, पुरोला ने अपने पत्र संख्या 953/वनभूमि/ दिनांक 24 जुलाई 2021 के द्वारा विकासखण्ड मोरी में मियाँगाड से कुनारा तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 8B/UCP/06/157/221/FC/274 दिनांक 07 जुलाई 2021 के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त होने के फलस्वरूप सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या 03 के अनुपालन में प्रभावित होने वाली 23.8175 है0 भूमि के सापेक्ष तहसील मोरी के मौजा कुनारा मध्ये पूर्व में चयनित दोगुनी भूमि रक्वा 5.634 है0 वन विभाग के नाम हस्तांतरित/नामंततरित करने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में भूमि चयन हेतु उप जिलाधिकारी पुरोला द्वारा अपनी आख्या पत्र संख्या 871/आ0ले0-विविध पत्रा0/2018 दिनांक 11 सितम्बर 2018 द्वारा तहसीलदार मोरी की आख्या को संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए तहसील मोरी के ग्राम कुनारा में उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की वर्ग 9(3)ङ में दर्ज ख0सं0 1/2.382हे0, 2/1.714हे0, 3/1.254हे0 एवं 4म./0.284 कुल रक्वा 5.634 है0 भूमि का प्रस्ताव क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रेषित किया गया है।

अत: शासनादेश संख्या 397/2012 दिनांक 29 फरवरी 2012 में दिये गये प्राविधानों के अनुपालन में उप जिलाधिकारी, पुरोला/तहसीलदार मोरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार तथा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, पुरोला के अनुरोध पर विकासखण्ड मोरी में मियाँगाड से कुनारा तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु ग्राम कुनारा में उत्तरारखण्ड सरकार के स्वामित्व की वर्ग नान-जेड-ए खतौनी खाता संख्या 14 में उत्तराखण्ड सरकार के नाम वर्ग 9(3)ङ में दर्ज भूमि ख0सं0 1/2.382हे0, 2/1.714हे0, 3/1.254हे0 एवं 4म./0.284 कुल रक्वा 5.634 है0 भूमि क्षतिपूकर वृषारोपण के लिए प्रभागीय वनाधिकारी, टौंस वन प्रभाग, पुरोला के नाम हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

दिनांक:- 04-08-2021

ह0-
(मयूर दीक्षित)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी ।

Amin
(1)

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या 6478 / ~~नौ-ग्यारह~~ 26-विविध /2019-20 दिनांक 07 अगस्त, 2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला, उत्तरकाशी ।
2. उप जिलाधिकारी, पुरोला ।
3. तहसीलदार मोरी ।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण, विभाग, पुरोला ।

अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी ।
7/8/21

Scanned with OKEN Scanner

फार्म प्रपत्र सं० प-11

श्रेणी 9 (3) क

उद्धरण खतौनी N.Z.A ग्राम ढिनारा तह० मोरी जिला उत्तरकाशी :-

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
14.	उत्तराखण्ड सरकार की 9(3) ङ. ※		01	2.382											
			02	1.714											
			03	1.254											
			04	2.598		मु० आदेश जिलाधिकारी महोदय के									
			XX	XX		कार्यालय पत्र संख्या 6478/ग्यारह-									
			XX	XX		विविध/2019-20 दिनांक 7 अगस्त 2021									
			XX	XX		के ग्राम ढिनारा में उत्तराखण्ड सरकार									
			XX	XX		के नाम की 9(3)ङ. में दर्ज भूमि ख० सं०									
			2188	0.086		1/2.382, 2/1.741; 3/1.254; 4/4.0.284									
			2191	0.747		कुल रकबा 5.634 हे० भूमि ज्ञापित ...									
			2192	0.204		... हेतु प्रभागीय वनाधिकारी टौंस वन प्रभाग									
			2195	0.006		पुरोला के नाम हस्तान्तरित किये जाने की									
						स्वीकृति प्रदान की गई									
	योग		147.	12.779 हे		पा० किया सोहन लाल									
						रा० उ० नि० मोरी दिनांक									
						27-09-2021									

नकल असल से की

रा० उ० नि० मोरी (पुरोड़ी)

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र: तह० मोरी
जिला-उत्तरकाशी

उद्धरण खसरा ग्राम किनारा पट्टी सिंगतूर तह० मोरी

खसरा नं०	रकबा	नाम अभिधारी	प्रस्तावित खसरा नं०	प्रस्तावित रकबा	विभाग का नाम जिसके नाम भूमि हस्तान्तरित हुई,	अन्य विवरण
01	2.382	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड	01	2.382	प्रभागीय वनाधिकारी टौंस वन प्रभाग पुरोला	—
02	1.714	— " —	02	1.714	— " —	—
3	1.254	— " —	03	1.254	— " —	—
4	2.598	— " —	04 म.	0.284	— " —	—
4	7.948	—	04	5.634 है	—	—

[signature] 2?/09/2021

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र: तह० मोरी
जिला-उत्तरकाशी

Scanned with OKEN Scanner

मौजा नक्शा कनारा पट्टी सिंगतूर तहसील मोरी जिला उत्तरकाशी

पैमाना 64" = 01 मील

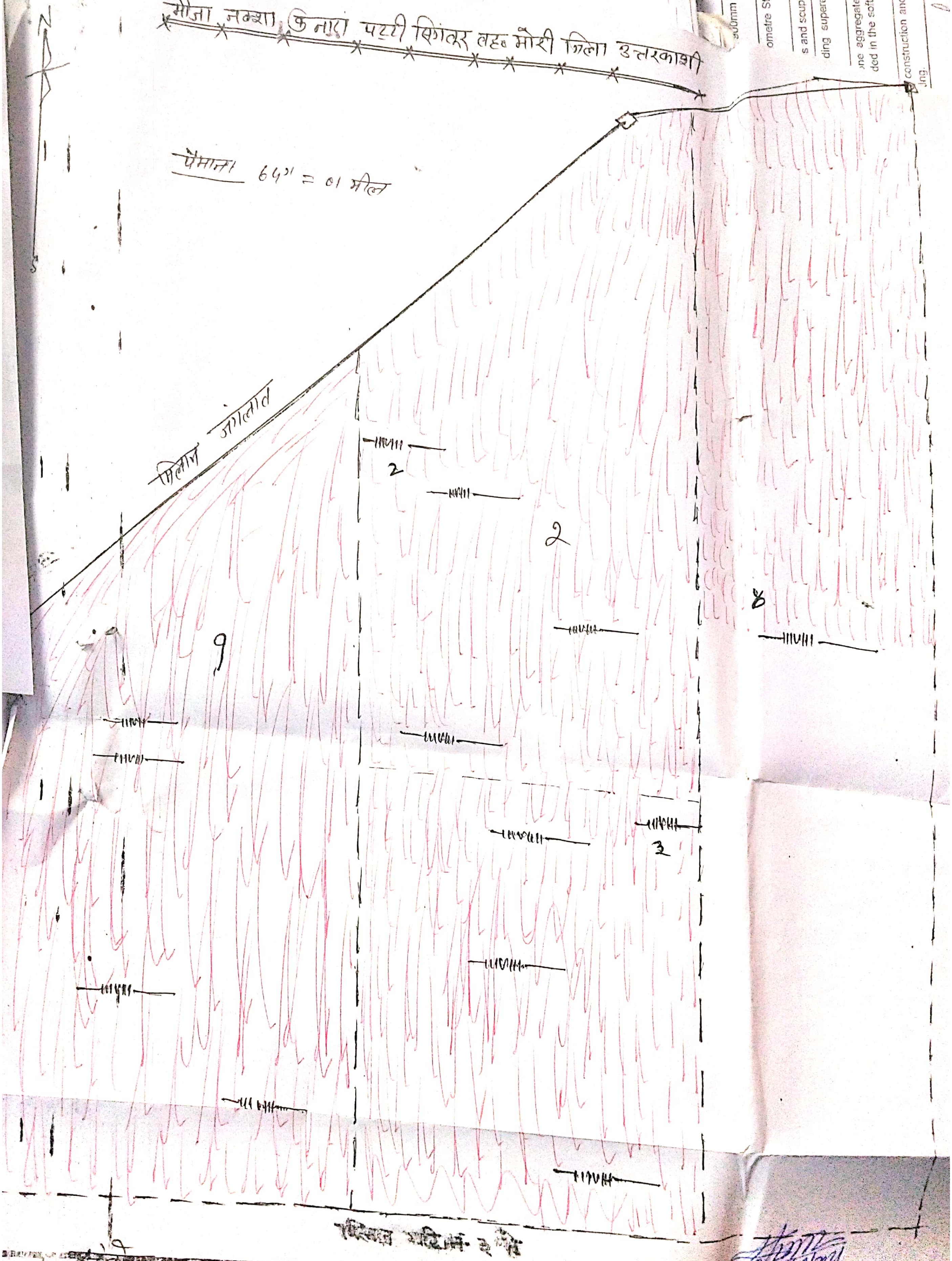

संकेत

□—□ – जंगलात मुनारा

—॥॥॥— बेंजर भूमि

(लाल छायांकित) – वन विभाग को हस्तान्तरित भूमि

Head of Account [illegible] M/R

Passed for Rs 30,98,341=00

Assistant Engineer
Constn. Divn. P.W.D.
Purola

FORM 28 HAND RECEIPT

(See Chapter X, Paragraphs 284, 290 and 304)

Assistant Engineer
Constn. Divn. P.W.D
Purola

Cash Book Voucher No ________

Date ________

(1) Pay by Cheque/Cash(3098341)

(2) Paid by me ________ to Shri Prabhagiya Lauging Prabandhak tos, Purola

RECEIVED from the EX Engineer P. W. D Purola

Incharge of C. D P. W. D Purola

Sub Division ________ Division the sum of Rs. (3098341=00) thirty Lakhs Ninty Eight thousand three hundred Forty one only A/C No-27800021000002039 (IFSC Code PUNB 027800)

Name of work/purpose for which payment is made [illegible] मोटर मार्ग निर्माण में आने वाले वृक्षो के कटान, छपान, मुद्दान, [illegible], [illegible] आदि का अतिरिक्त व्यय का भुगतान लॉट सं० 90, 91, 92/2021-22 वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक सं० 8 बी०/यू० सी०पी०/06/157/2021/एफ०सी०/ 274 दिनांक 30/06/2020

Prakash

Witness

Amount In Voucher

Signature of Payee

Checked for Rs. 3098341/-

D.A.O

Scanned with OKEN Scanner

(6)

Print Date - 5-10-2021

Transaction ID - WO4101422910211001

Bill Type : Normal

E-Sign

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
पुरोला (उत्तरकाशी)

आकस्मिक देयक प्रपत्र

वित्तीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग -१

(देखे अध्याय - आठ , प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

1 - जनपद का नाम : उत्तरकाशी

2- कोषागार का नाम : पुरोला

3- देयक की अवधि कब से .... कब तक

4- रिकार्ड कोड

1	0	3

5- कोषागार/उपकोषागार का कोड

4	1	0	1

6- देयक पंजी की क्रम संख्या

1	0	2	1	1	0	0	1

7- वाउचर संख्या (कोषागार द्वारा भरा जाना है) 0 वाउचर दिनांक —

8- मतदेय/भारित : मतदेय

लेखाशीर्षक सम्बन्धी विवरण

मुख्य लेखाशीर्षक -	(5054)सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय
उप मुख्य लेखा शीर्षक -	(04)District and other Roads
लघुशीर्षक -	(337)सडक निर्माण कार्य
उपशीर्षक -	(03)राज्य सेक्टर
ब्योरेवार शीर्षक -	(04)एन0पी0बी0 का भुगतान (5054-04-800-03-07 से स्थानान्तरित)

9- लेखाशीर्षक सम्बन्धी 13 अंको का कोड (4 मुख्य लेखाशीर्षक + 2 उपमुख्य शीर्षक +3 लघुशीर्षक+2 उपशीर्षक+2 ब्योरेवार शीर्षक)

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	4	5	4

10- आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम : अधिशासी अभियंता नि0 ख0 पी डब्लू डी पुरोला

11- आहरण वितरण अधिकारी का कोड

4	2	2	9

12- अधिष्ठान का नाम : अधिशासी अभियंता नि0 ख0 पी डब्लू डी पुरोला

13- अनुदान संख्या :(022)लोक निर्माण कार्य Connect अनुदान संख्या

14- सोर्स कोड :1

15- सेक्टर कोड :2 16- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संलग्न करें)

बजट की वर्तमान स्थिति

मानक मद का नाम व कोड	आवंटित कुल बजट	इस बिल को सम्मिलित करते हुए	अवशेष बजट
54-भूमि क्रय	12692523	7928383	4764140

भुगतान का विवरण

मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
54-भूमि क्रय	47,35,666
66 देयक की सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद)	**47,35,666**

ONLY FOR OFFICIAL USE

कटौतियों का कोड सहित विवरण

77- सम्पूर्ण कटौतियां	-
99 शुद्ध देय धनराशि 66-77	**47,35,666**

प्रमाणित किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों एवं आदेशों की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद देयक प्रथमबार प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के अवयवों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
पुरोला (उत्तरकाशी)

नियंत्रक/प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

(केवल काउन्टरसाइन्ड कंटीजैंसी के प्रकरण में ही लागू होगा)

(पदनाम एवं कार्यालय की मुहर)

कोषागार/उपकोषागारों के प्रयोग हेतु

धनराशि रू0 47,35,666 (Rupees Forty Seven Lacs Thirty Five Thousand Six Hundred Sixty Six Only) भुगतान हेतु पारित किया

Scanned with OKEN Scanner

जाता है।
संक्रमण द्वारा रू0 -
सकल धनराशि रू0 47,35,666

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी

Sl. No.	Beneficiary	Account Type	IFSC CODE	Account No	Gross Amount	Total Deduction	Advance Amount
1	OP4101422900144 Ms Uttaranchal Campa	Saving	UBIN0903710	150896137269246	4735666	0	0
					4735666	**0**	**0**

Scanned with OKEN Scanner

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 01-10-2021

Agency Name.	PWD
Application No.	6137269246
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/157/2021/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction Division, P.W.D. PurolaUttarkashi
Amount(in Rs)	4735666/-

Amount in Words :Forty-Seven Lakh Thirty-Five Thousand Six Hundred and Sixty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896137269246 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 01-10-2021

Agency Name.	PWD
Application No.	6137269246
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/157/2021/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Construction Division, P.W.D. Purola Uttarkashi
Amount(in Rs)	4735666/-

Amount in Words :Forty-Seven Lakh Thirty-Five Thousand Six Hundred and Sixty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896137269246 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

Scanned with OKEN Scanner